अर्द्ध0शा0प0सं0-1385/स0आ0/85

एम0 वाधवानी, आई0ए0एस0

लखनऊ, दिनांक 4 अक्टूबर, 1985

प्रिय श्री त्रिपाठी,

सर्तकता आयोग, उत्तर प्रदेश की जानकारी में आया है कि बहुत से राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (State-owned Public Sector Undertakings) कर्मचारियों के सेवा नियम (सर्विस रूल्स) को अभी तक अन्तिम रूप नही दिया जा सका है। अतः यह राज्य सरकार एवं राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों State-owned Public Sector Undertakings के कर्मचारियों दोनों के हित में है कि उनके सेवा नियम को अन्तिम रूप दिया जाय।

2-एक ओर वहां कर्मचारियों के सेवा नियमों के बन जाने के फलस्वरूप कर्मचारी अनावश्यक उत्पीड़न से सुरक्षित रहेंगे और अपनी सेवा से सम्बन्धित नियमों तथा सेवा शर्तों से भली-भांति अवगत रहेंगे वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि राजकीय प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के पेंशन, आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) भविष्य निधि से सम्बन्धित नियम इस प्रकार से बनाये जायें कि वह राजकीय कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवा नियमों के समान हो ताकि भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा-निवृत्ति के पश्चात् भी कार्यवाही की जा सके।

3-अतः राजकीय प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के सेवा नियम को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाना सुनिश्चित करें।

4- मैं अनुग्रहीत हूँगा यदि आप सर्तकता आयोग को इस संबंध में कृत कार्यवाही से अवगत करें।

सद्भावनाओं सहित,

भवदीय,
एम0 वाधवानी।

श्री आर0 सी0 त्रिपाठी, आई0ए0एस0
सचिव,
राजस्व विभाग एवं ब्यूरो आफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

अर्द्ध0शा0प0सं0-1385(1)/स0आ0/85, तद्दिनांक

प्रिय श्री रिजवी,

मैं उपरोक्त पत्र की एक प्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं।

सद्भावनाओं सहित।

भवदीय,
एम0 वाधवानी।

अर्द्ध0शा0प0सं0-1385(1)/पी0ए0/85, तद्दिनांक

प्रिय श्री गुप्त,

मैं अपने उपरोक्त पत्र की एक प्रति आपके सूचनार्थ भेज रहा हूं।

सद्भावनाओं सहित।

भवदीय,
एम0 वाधवानी।

श्री एच0 सी0 गुप्त, आई0ए0एस0,
विशेष सचिव, कार्मिक विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।